प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

प्रथम आवंटन
आयोजनेत्तर–अनुदान सं0–14
तेरह अंको का कोड–**2515008001001**

1	बहराइच
2	प्रतापगढ़
3	कौशाम्बी
4	मैनपुरी

सेवा मे,

समस्त जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक (प्रसार),
(पार्श्वांकित जनपदों को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

संख्या 1/41/2011–1/9 /2011: लखनऊः दिनांक 15 अप्रैल, 2011

विषयः–चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 की अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय आयोजनेत्तर–10–ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिए व्यवस्था–1001–कृषि (कृषि निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान के अन्तर्गत व्यय हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक प्रमुख सचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0–1107/33–3–11–100 (41)/2010, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये प्राविधानित धनराशि में से चालू वित्तीय वर्ष 2011–12 में अधिष्ठान में व्यय हेतु आवश्यक धनराशि संलग्न तालिका के अनुसार **₹– 94452557/– (₹ नौ करोड़ चौवालीस लाख बावन हजार पांच सौ सत्तावन मात्र)** आवंटित की जाती है।

यह धनराशि निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आवंटित की जाती है:–

1– यह ध्यान रहे कि धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी भी प्रकार के व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है। आहरण के पूर्व अन्य संगत नियमों/निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

2–वेतन भत्ते आदि का आहरण सृजित पद के विरूद्ध ही किया जाय।

3– आवंटित धनराशि का व्यय किसी ऐसे मद में कदापि न किया जाय जिसके लिये वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति व सहमति आवश्यक है। ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्ति करने के उपरान्त ही किया जाये। कृपया सुनिश्चित किया जाये कि धनराशियों का व्यय प्रतिमाह कुल धनराशि का 1/12 भाग ही हो यदि किसी माह में 1/12 भाग से अधिक की धनराशि के व्यय का औचित्य पाया जाय तो उस धनराशि के व्यय करने से पूर्व निदेशालय की अनुमति प्राप्त किया जाय। आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एंव अधिक व्यय कदापि न किया जाय। व्यय आवंटित धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। किसी प्रकार के अधिक व्यय के लिये अथवा अनाधिकृत व्यय के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। बजट की किसी भी ऐसी प्राथमिक इकाईयां लेखाशीर्षक के सापेक्ष व्यय न किया जाये जिसके लिये बजट में प्राविधान नहीं है।

4– नियमानुसार अनुमन्य धनराशि ही वेतन मद में आहरित की जाये। गलत तथा अधिक आहरण के लिये आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें।

5– कोषागार से आहरित धनराशि का विवरण प्रत्येक माह की अगली 05 तारीख तक निर्धारित प्रपत्र बी0एम0–4 में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाये। बी0एम0–4 पर बने सभी कालम अवश्य भरे जाय तथा विवरण में कोषागार वाउचर संख्या तथा दिनांक एवं धनराशि का उल्लेख अवश्य किया जाये।

6– यदि बी0एम0–4 में सूचना नही भेजी जाती है तो गबन आदि की कोई भी घटना होने पर संबंधित आहरण वितरण अधिकारी ब्यक्तिगत रूप से सीधे जिम्मेदार होगे।

7– आहरण वितरण अधिकारी को बजट अगली बार तभी आवंटित किया जायेगा जब उपयुर्क्तानुसार बी0एम0–4 पर सूचना तथा अतिरिक्त बजट का औचित्य प्राप्त हो जाये।

8– यदि किसी मद में धनराशि समर्पित की जानी है तो संबंधित कोषागार का प्रमाण–पत्र नोट कराना आवश्यक होगा।

9– 'एक बार धनराशि समर्पित किये जाने के बाद नियमानुसार निदेशक की लिखित स्वीकृति के बिना उस धनराशि को कोषागार से आहरित न किया जाये। अतः यदि समर्पण के बाद बिना अनुमति के

कोई धनराशि कोषागार से आहरित की जाती है तो उसके लिये आहरण वितरण अधिकारी के विरूद्ध, विभागीय कार्यवाही की जायेगी।

10– यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि आहरित धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही मुख्य, उपमुख्य, लघु, विस्तृत लेखाशीर्षक अवश्य अंकित किया जाये, ताकि महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा न हो तथा प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से आयोजनेत्तर शब्द अवश्य अंकित किया जाये जिसके लिये रबर की मोहर अधिक श्रेयष्कर होगी।

11– वर्तमान स्थिति में शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, विशेष रूप से यात्रा व्यय,कार्यालय व्यय ,पेट्रोल तथा टेलीफोन पर व्यय में मितव्ययता अवश्य बरती जाये। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या सी0ए0–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 2–9–2008 और भविष्य में जो जारी किये जायें, शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाये ताकि अपव्यय रोका जा सके।

12– व्यय के संबंध में वित्त (आय–व्ययक),अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1 –901/दस–2011–231/11, दिनांक 21 मार्च, 2011 में उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

13– उपयुर्क्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या–14 के अधीन लेखाशीर्षक 2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–आयोजनेत्तर–10–ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिए व्यवस्था–1001–कृषि (कृषि निरीक्षक, सहायक विकास अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान के अन्तर्गत सुसंगत मानक मदो के नामे डाला जायेगा।

14– संबंधित आहरण वितरण अधिकारी आवंटित धनराशि के व्यय का लेखा जोखा रखेगें तथा व्यय की सूचना निम्नलिखित तिथि तक इस कार्यालय को निश्चित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

1– कोषागार से आहरित धनराशि का मासिक विवरण बी0एम0–4 पर तथा कोषागार द्वारा उपलब्ध कराया गया रिकेन्सिलियेशन स्टेटमेंन्ट आगामी माह की 5 तारीख तक।

2– प्रारम्भिक व्ययाधिक्य तथा बचत विवरण दिनांक 30–9–2011 तक

3– व्ययाधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण दिनांक 15–1–2012 तक

4– वर्ष 2011–12 में समर्पण यदि कोई हो तो की सूचना दिनांक 5–2–2012 तक

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ स0–55 पर अंकित है।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय,

(डी0एस0 श्रीवास्तव)
निदेशक,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1/41/1/2011 उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उत्तर प्रदेश।
2–अनुसचिव, पंचायतीराज अनुभाग–3,उत्तर प्रदेश शासन।
3–उपसचिव वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2 उ0प्र0शासन।
4–महालेखाकार सी0पी0 सी0–2 उ0प्र0इलाहाबाद।
5–महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम उ0प्र0इलाहाबाद।
6–वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय(लेखा परीक्षा एवं लेखा) उ0प्र0 इलाहाबाद।
7–सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8–निदेशक, कृषि भवन, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
9–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 नवां तल बापू भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, उक्त आवंटन विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश।

पत्र सं0–1/41/2011–1/9/2011, दिनांक–15 अप्रैल, 2011 का संलग्नक

आवंटन वर्ष 2011–12

अनुदान सं0–14 के अधिन लेखाशीर्षक–2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनेत्तर–800–अन्य व्यय–10–ग्रामीण स्थानीय निकायों कों प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनादि की व्यवस्था–1001–कृषि (कृषि निरीक्षक/सहायक विकास अधिकारी) सम्बन्धी अधिष्ठान हेतु धनराशि का आंवटन

(धनराशि ₹ में)

क0 सं0	उपशीर्षक/ लघु शीर्षक/व्यय के	(01 वेतन)	(03 मंहगाई भत्ता)	(06 अन्य भत्ता)	योग	कोषागार का प्रगामी योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	2037528	916887	163002	**3117417**	**3117417**
2	बागपत	1321831	594823	105746	**2022400**	**2022400**
3	गाजियाबाद	1223943	550774	97915	**1872632**	**1872632**
4	गौतमबुद्धनगर	566716	255022	45337	**867075**	**867075**
5	बुलन्दशहर	1676014	754206	134081	**2564301**	**2564301**
6	सहारनपुर	1892871	851791	151429	**2896091**	**2896091**
7	मुजफ्फरनगर	2912153	1310468	232972	**4455593**	**4455593**
8	आगरा	913922	411264	73113	**1398299**	**1398299**
9	अलीगढ़	2369565	1066304	189565	**3625434**	**3625434**
10	हाथरस	1286188	578784	102895	**1967867**	**1967867**
11	एटा	974249	438412	77939	**1490600**	**1490600**
12	मैनपुरी	0	0	0	**0**	**0**
13	मथुरा	1988267	894720	159061	**3042048**	**3042048**
14	फिरोजाबाद	920642	414288	73651	**1408581**	**1408581**
15	बरेली	1409609	634324	112768	**2156701**	**2156701**
16	बदायू	318312	143240	25464	**487016**	**487016**
17	पीलीभीत	901505	405677	72120	**1379302**	**1379302**
18	शाहजहापुर	165966	74684	13277	**253927**	**253927**
19	मुरादाबाद	1183417	532537	94673	**1810627**	**1810627**
20	ज्योतिबाफूलेनगर	729558	328301	58364	**1116223**	**1116223**
21	रामपुर	568118	255653	45449	**869220**	**869220**
22	बिजनौर	1396114	628251	111689	**2136054**	**2136054**
23	लखनऊ	1013747	456186	81099	**1551032**	**1551032**
24	रायबरेली	352580	158661	28206	**539447**	**539447**
25	हरदोई	1389276	625174	111142	**2125592**	**2125592**
26	उन्नाव	796169	358276	63693	**1218138**	**1218138**
27	सीतापुर	2166359	974861	173308	**3314528**	**3314528**
28	खीरी	642917	289312	51433	**983662**	**983662**
29	फैजाबाद	721805	324812	57744	**1104361**	**1104361**
30	अम्बेडकर नगर	300466	135209	24037	**459712**	**459712**
31	सुल्तानपुर	389528	175287	31162	**595977**	**595977**
32	बाराबंकी	300942	135423	24075	**460440**	**460440**
33	गोण्डा	400258	180116	32020	**612394**	**612394**
34	बलरामपुर	350113	157550	28009	**535672**	**535672**
35	बहराइच	0	0	0	**0**	**0**
36	श्रावस्ती	182743	82234	14619	**279596**	**279596**

37	इलाहाबाद	415602	187020	33248	635870	635870
38	कौशाम्बी	0	0	0	0	0
39	फतेहपुर	260912	117410	20872	399194	399194
40	प्रतापगढ़	0	0	0	0	0
41	वाराणसी	974830	438673	77986	1491489	1491489
42	चन्दौली	611145	275015	48891	935051	935051
43	गाजीपुर	350692	157811	28055	536558	536558
44	जौनपुर	988121	444654	79049	1511824	1511824
45	मिर्जापुर	1825896	821653	146071	2793620	2793620
46	सोनभद्र	980858	441386	78468	1500712	1500712
47	संतरविदासनगर	453855	204234	36308	694397	694397
48	हमीरपुर	118028	53112	9442	180582	180582
49	बांदा	887444	399349	70995	1357788	1357788
50	चित्रकूट	590398	265679	47231	903308	903308
51	महोबा	402595	181167	32207	615969	615969
52	गोरखपुर	1226080	551736	98086	1875902	1875902
53	महाराज गंज	1527474	687363	122197	2337034	2337034
54	देवरिया	764046	343820	61123	1168989	1168989
55	कुशीनगर	1275380	573921	102030	1951331	1951331
56	बस्ती	827101	372195	66168	1265464	1265464
57	सन्त कबीर नगर	1017592	457916	81407	1556915	1556915
58	सिद्धार्थ नगर	157143	70714	12571	240428	240428
59	आजमगढ़	934513	420530	74761	1429804	1429804
60	मऊ	1197483	538867	95798	1832148	1832148
61	बलिया	1169577	526309	93566	1789452	1789452
62	कानपुर नगर	1147412	516335	91792	1755539	1755539
63	रमाबाई नगर	885125	398306	70810	1354241	1354241
64	फर्रूखाबाद	670421	301689	53633	1025743	1025743
65	कन्नौज	534458	240506	42756	817720	817720
66	इटावा	1079616	485827	86369	1651812	1651812
67	औरैया	1054970	474736	84397	1614103	1614103
68	झांसी	548616	246877	43889	839382	839382
69	ललितपुर	299660	134847	23972	458479	458479
70	जालौन	675798	304109	54063	1033970	1033970
71	कांशीरामनगर	117504	52876	9400	179780	179780
	योग	**61733736**	**27780153**	**4938668**	**94452557**	

(₹ नौ करोड़ चौवालीस लाख बावन हजार पांच सौ सत्तावन मात्र)

(रमेश चन्द्र राय)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,
पंचायती राज उ0प्र0।